भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *262

(जिसका उत्तर 05 जनवरी, 2018/15 पौष, 1939 (शक) को दिया जाना है)

कृषि ऋण माफी

262. श्री जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डीः
श्री कोनाकल्ला नारायण रावः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर के अनुसार कृषि ऋण माफी अर्थव्यवस्था या ऋण कल्चर के लिए अच्छी प्रथा नहीं है, जिसे अंततः लम्बी अवधि में उचित नहीं ठहराया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का किसानों को उनके ऋण भुगतान के लिए अधिक समय उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है/दी जा रही है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'कृषि ऋण माफी' के संबंध में श्री जे. सी. दिवाकर रेड्डी और श्री कोनाकल्ला नारायण राव द्वारा पूछे गए 05 जनवरी, 2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *262 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर ने मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रेषित अपने पत्र में चुनाव के समय राजनैतिक पार्टियों द्वारा ऋण माफी का वादा करने के जोखिम का उल्लेख किया है क्योंकि इसके कारण लाभार्थी भुगतान करने में वित्तीय रूप से सक्षम होने के बावजूद भी भुगतान करना बंद कर देते हैं और इससे बैंकिंग क्षेत्र तथा राज्यों की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि भूतपूर्व गवर्नर ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में यह भी कहा था कि ऋण माफी तथा सब्सिडी से ऋण अनुशासन भंग होता है।

(ग): आरबीआई ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित उधारदात्री संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा फसल ऋण तथा सावधि ऋण की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण शामिल है। बैंकों द्वारा राहत उपाय आरंभ करने संबंधी बेंचमार्क को भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना के अनुरूप कम करके 33% फसल हानि कर दिया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदा के समय अतिदेय ऋण के अलावा सभी लघु अवधि ऋण पुनर्संरचना के पात्र होते हैं। आरबीआई ने बैंकों को यह सलाह दी है कि जिस वर्ष प्राकृतिक आपदा घटित हो उस वर्ष पुनर्भुगतान हेतु देय मूल राशि तथा ब्याज को सावधि ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि क्षति 33% और 50% के बीच हो तो पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि (अधिस्थगन की 1 वर्ष की अवधि सहित) 2 वर्ष तक है और यदि क्षति 50% या इससे अधिक है तो पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि (अधिस्थगन की 1 वर्ष की अवधि सहित) 5 वर्ष तक है।

(घ): गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को ऋण माफी हेतु कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

*****